भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3439

13.03.2020 को उत्तर के लिए

आरओ प्यूरीफायर्स पर प्रतिबंध

3439. श्रीमती शारदा अनिल पटेल :
श्री असादुद्दीन ओवैसी :
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर उन स्थानों पर आरओ प्यूरीफायर्स को प्रतिबंधित करने/रोक लगाने की कार्रवाई की है जहां पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन स्थानों को चिह्नित किया है जहां पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है और जहां आरओ की आवश्यकता नहीं है;

(ग) क्या सरकार ने आरओ को प्रतिबंधित करने से पहले उपयोगकर्ताओं की राय लेने का निर्णय किया है, यदि हां, तो इस संबंध में जनता की प्रतिक्रिया भेजने की समय-सीमा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों की संख्या जहां पीने योग्य पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है, क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी हितधारकों यथा एनजीटी, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (च) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 'अपने महासचिव के माध्यम से मित्रों बनाम जल संसाधन मंत्रालय' शीर्षक की 2015 की ओ.ए. 134 में अपने दिनांक 20.05.2019 के आदेश द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) को निर्देश दिए हैं कि जहां पानी में कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) 500 मिग्रा./लीटर से कम है वहां आरओ के प्रयोग पर निषेध लगाने के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी करें। एनजीटी ने आगे यह भी निदेश दिया कि जहां आरओ की अनुमति दी जाती है वहां 60% से ज्यादा की जल प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यकता निर्धारित की जाए।

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मेम्ब्रेन आधारित जल शुद्धिकरण प्रणाली के विनियमन के लिए प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की है। अन्य बातों के साथ-साथ, टीडीएस मापदण्ड पर आधारित, देश में आरओ प्रणाली के उपयोग को विनियमित करने से संबंध में, पेयजल की आपूर्ति में लगे संबंधित प्राधिकरण और निजी / सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण नियमित आधार पर बिलिंग उपकरणों और अन्य जन संचार और अखबार में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल में टीडीएस सांद्रण सहित जल स्रोतों और गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं को सूचित करेंगे। प्रारूप अधिसूचना, जनता और प्रभावित हितधारकों से सुझाव / टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

*****